शिविर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

पत्रांक 3565/ओएसडी/डीएम–कानपुर/कोविड–19/2020 दिनांक : 10–04–2020

## आदेश

शासनादेश संख्या–404/71–3–2020, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 20–03–2020 के अन्तर्गत एपीडेमिक रोग एक्ट 1897 के अर्न्तत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित महामारी विनियमावली–2020 के तहत नोवेल कोरोना वायरस रोग (कोविड–19) के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को प्राधिकृत अधिकारी घोषित करते हुए विनियमावली की धारा–12 व 13 में कोविड–19 की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिकृत किया गया है। अतः एपीडेमिक एक्ट 1897 तथा महामारी विनियमावली 2020 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–798/71–2–2020–698/2020 टी0सी0 दिनांक 03–04–2020 में अधिसूचित रामा मेडिकल कालेज आफ साइंस को जनहित में अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहीत किया जाता है।

अतः उक्त मेडिकल कालेज के प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने चिकित्सालय/मेडिकल कालेज में आइसोलेशन/क्वारेन्टाइन वार्ड के साथ कोविड–19 उपचार हेतु समस्त आवश्यक उपकरणों की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करेगें तथा उनमें अपने अधीनस्थ कार्यरत फैकल्टी/पैरामेडिकल स्टाफ आदि को प्रत्येक दिन 24 घण्टे उपस्थित रहने हेतु अपने दिशा निर्देशन में व्यवस्था करेगें। अपने उपचार स्थल पर 100 आइसोलेशन बेड तथा 10 वेण्टीलेटर की व्यवस्था आवश्यक रूप से रखेंगें। यदि अन्य प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे चिकित्सकों/पैरा मेडिकल स्टाफ की अतिरिक्त आवश्यकता हो, तो यथा आवश्यकतानुसार वरिष्ठ एवं अनुभवी डॉक्टरों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

उक्त व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित की जायें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

**(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)**
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

**प्रतिलिपि :** निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख स्टाफ आफीसर, मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखन को सादर सूचनार्थ।
2–अपर मुख्य सचिव, गृह एवं गोपन, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
3–प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
4–प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
5–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल कानपुर को सादर सूचनार्थ।
6–डी0आई0जी0/एस0एस0पी0 कानपुर नगर
7–नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
8–मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
9–समस्त अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर।
10–नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर।
11–नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
12–उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ
13–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कानपुर नगर।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

Scanned with CamScanner